तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23.12.2019. पत्रावली आज प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित, जिनकी बहस उक्त प्रार्थनापत्र बाबत पूर्व में सुनी जा चुकी है। अपीलाण्ट्स की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिया गया इस कारण वे अभिलेख प्रस्तुत नही कर पाये और न्याय के मूल बिन्दु तक पहुँचे बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये। मामले में न्याय के मूल बिन्दु तक पहुँचने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजात अदालत हाजा के लिए सहायक सिद्ध होंगे, अतः इन दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जावे-

1. तहसीलदार फलोदी का आदेश दिनांक 15.3.2005
2. म्युटेशन संख्या 1046 की प्रति
3. जमाबंदी संवत 2063 की प्रतियां
4. अपील संख्या 36/2005 की प्रति
5. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर का आदेश दिनांक 25 फरवरी 2009 की प्रति
6. अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर का निर्णय दिनांक 28 सितम्बर 2012 की प्रति
7. न्यायालय राज़स्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 13 जून 2012 की प्रति

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त समस्त दस्तावेजात राजकीय दस्तावेजात व न्यायालय कार्यवाही संबंधित दस्तावेजात है जिनकी फर्जी व कूटरचित होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जावे। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने 2003 आरआरडी 504, 1985 आरआरडी 487, 2003 आरआरडी 421, 1987

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	RAAJodhpur नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

थी, और अदालत हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख उक्त अपील के संबंध में तलब किया जा चुका था, अतः अधीनस्थ न्यायालय में संबंधित पत्रावली के अभाव में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 के बाबत कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होने के कारण आलौच्य अपील पेश की गयी और यही कारण रहा कि आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील पेश करने में हुए सदभाविक विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जावे।

जवाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने 2013(2) आरआरटी 887 उद्धरित करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 दिसम्बर 2008 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष 15 मई 2014 को पेश की गयी है। अदालत हाजा के जिस निर्णय का अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा संदर्भ दिया जा रहा है, वह अपील प्रकरण संख्या अपील/जोधपुर/038/2011 जेठाराम बनाम पेंपो व अन्य में दिनांक 13 जून 2012 को पारित किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश पारित होने के उपरान्त भी आलौच्य अपील अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। अतः प्रस्तुत अपील मियाद बाधित होने के कारण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

दोनों पक्षों की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 दिसम्बर 2008 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष 15 मई 2014 को पेश की गयी है। अदालत हाजा के जिस निर्णय का अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा संदर्भ दिया जा रहा है, वह अपील प्रकरण संख्या अपील/जोधपुर/038/2011

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आरआरडी 132 एवं 1998 आरआरडी 523 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने कथन किया कि आलौच्य अपील में इस स्तर पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योकि प्रथमतः आलौच्य अपील निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद अत्यांधिक विलम्ब से पेश की गयी है, जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है, ऐसी स्थिति में इस अपील में किसी प्रकार के और नवीन दस्तावेजात प्रस्तुत करने की कतई आवश्यकता नहीं है। द्वितीय, दस्तावेजात प्रस्तुत किये जा रहे है, उनके द्वारा ऐसा कोई नवीन तथ्य उभर कर सामने नहीं आता, जिससे मामले की मूल विषय वस्तु पर कोई आधरभूत प्रभाव पड़ने वाला हो। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किया जावे।

उक्त प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस मियाद प्रार्थनापत्र के संबंध में भी सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, जिसकी अपील अदालत हाजा में प्रस्तुत की गयी। अदालत हाजा द्वारा उक्त अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पर विधिवत सुनवाई कर निये सिरे से निस्तारित किये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया। मगर वादीगण-रेस्पो. द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष नियमित अपील पेश की हुई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	RAAJodhpur नम्बर व तारीख आज्ञा जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जेठाराम बनाम पेंपो व अन्य में दिनांक 13 जून 2012 को पारित किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश पारित होने के उपरान्त भी आलौच्य अपील अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण मियाद के विन्दु पर खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है, उनका अवलोकन करने से पाया जाता है कि उक्त सभी दस्तावेजात सन 2005 से 2012 के मध्य के सार्वजनिक सर्वसुलभ दस्तावेजात है और अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई कारण अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित नहीं किया है कि अपील पेश करने के बाद भी इतने समय बाद तक उक्त दस्तावेजात पेश क्यों नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी एवं आलौच्य अपील दोनों ही खारिज किये जाते है एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 दिसम्बर 2008 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

जोधपुर